न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज0)

फर्द अहकाम

ग्यारसा बनाम राजबाला वगेरहा

प्रार्थना पत्र संख्या...128.........../2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
18/10/21	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील महेश शर्मा नयाबास पेश किया गया। वकील प्रार्थी को इकतरफा सुना गया। प्रस्तुत प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अपने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी के हक अधिकार सहित निहित खातेदारी व कब्जे काश्त के उपयोग उपभोग में बाधा दखल करते हुए अविभाजित विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड व कब्जे, मौके में परविर्तन सहित मुन्तकिल कराने एवं प्रार्थी को विधिक अधिकारों व मौके से बेदखल कर प्रार्थी के अधिकारों का हनन् करने पर आमदा है। जबकि अविभाजित विवादित भूमि में प्रार्थी के हक अधिकारों से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। उपरोक्त कथनों सहित अपनी बहस में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया है। हमने प्रस्तुत प्रा0 पत्र, शपथ पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी के कथनों पर मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः उभय पक्षों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम हकिशनपुरा में विवादित कृषि भूमि खसरा नं0 247 रकबा 2.1600 हैक्टेयर भूमि में कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे तथा वर्तमान मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखे तथा प्रार्थी को कब्जे से बेदखल नहीं करावे। उक्त कार्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं ही करे एवं अपने सर्वेन्ट, ऐजेन्ट, परिवारजन, किसी अधिकारी आदि से भी ना करावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो, स्टे आदेश की प्रति तहसीलदार, उप पंजीयक व संबंधित थानाधिकारी को पालनार्थ भेजा जावे एवं तलबी अप्रार्थीगण की जारी होकर पत्रावली दिनांक 13.12.2021 को पेश हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
13/12/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प [illegible] में पेश हुई। उभय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/3/22 को पेश हो। शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)
31/3/22	पत्रावली पेश हुई [illegible] संघ द्वारा कंण्डोलेंस / [illegible] करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 05/04/22 पेश हो।

क्र सं

05/04/22; पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी / जवाब______
दिनांक 18/04/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला–जयपुर

18/4/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित पक्ष उपस्थित
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी / जवाब______
दिनांक 21/04/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला–जयपुर

21/04/22; पत्रावली पेश हुई वकील उपस्थित पक्ष उपस्थित
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी / जवाब______
दिनांक 19/05/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला–जयपुर

03/06/2022 पत्रावली ... वो
संग अभियान 2021 कैम्प ... में पेश हुई। उभय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11.7.2022 को पेश हो।

04/7/22
... (जयपुर)
पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा
कण्डोलेंस / कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/7/22 पेश हुई।

15/07/22 पत्रावली ...
अन्य कार्य में व्यस्तता होने ...
... दिनांक 21/07/22 को पेश हो।
[illegible]

21/7/22
पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा
कण्डोलेंस / कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 04/08/22 पेश हुई।

04/08/22 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा
कण्डोलेंस / कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/9/22 पेश हुई।

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/11/22	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता राव द्वारा [illegible] का [illegible] करने पर [illegible] पेश हुई 29/11/22	
	29/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० पत्रावली आदेशार्थ दिनांक 30/11/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	30/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। वकील उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के मूल वाद को स्वीकार कर निर्णित किया जा चुका है अतः इसे आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा० पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	